संख्याः / जी0एस0(शिक्षा)/A3-111/2020

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड **देहरादूनः दिनांक 11 मार्च, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 451/मान्यता/के0यू0/2019–20 दिनांक 06.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) को एम0एस0–सी0 (भौतिक विज्ञान) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)	एम0एस0–सी0 (भौतिक विज्ञान)	20 सीट	2019–20 एवं 2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विशिविद्यालय अधिनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत् छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्याः 3763 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-111/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर (ऊ0सि0न0)।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।